भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2313
जिसका उत्तर सोमवार 13 दिसंबर, 2021
22 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है

एअर इंडिया का विनिवेश

2313. श्री उपेन्द्र सिंह रावत:
श्री सुनील कुमार मंडल:
श्री के. षणमुग सुंदरम:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह शर्त निर्धारित की है कि विनिवेश के माध्यम से एअर इंडिया को टाटा को देने के बाद नया मालिक सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत एअर इंडिया के विद्यमान लाभों को सीमित कर सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत इसके स्वामित्व को निजी आपरेटर को अंतरित किया गया है और कर्मचारियों के कार्य की शर्तों के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाएगी;

(ग) निजी कंपनी को संपूर्ण स्वामित्व का अंतरण करने के बाद एअर इंडिया के विद्यमान कर्मचारियों की रोजगार की सुरक्षा कैसे की जाएगी;

(घ) क्या एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस कर्मचारी संघ ने स्वामित्व के अंतरण के बाद भी विद्यमान लाभों को बरकरार रखने के संबंध में कोई अभ्यावेदन या ज्ञापन दिया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क) से (ग) : एअर इंडिया और उसकी अभिज्ञात सहायक कंपनी के रणनीतिक विनिवेश (एआईएक्सएल में 100% शेयरधारिता और एआईएसएटीएस में 50% शेयरधारिता) एक 'चालू कंपनी' के आधार पर है और दिनांक 25 अक्तूबर, 2021 को हस्ताक्षरित सहमत शेयर खरीद करार की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी, इसके कर्मचारी बने रहेंगे। बंदीकरण की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि में कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जा सकती और बंदीकरण से दूसरे वर्ष में छंटनी की स्थिति में, वे अधिकतम लाभों के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पात्र होंगे। कर्मचारी लागू कानून/उद्योग परिपाटी के अनुसार, अन्य लाभों जैसे कि ग्रेच्युटी, भविष्य निधि लाभ, गमन अधिकार के लिए भी पात्र होंगे। कर्मचारियों को बंदीकरण के बाद 06 माह की अवधि के लिए आवासीय कॉलोनियों में रहने की अनुमति दी गई है। बंदीकरण के पश्चात कर्मचारियों के लिए ईएसओपी स्कीम का प्रावधान है। रणनीतिक खरीदार द्वारा मौजूदा कर्मचारियों को उद्योग परिपाटी के अनुसार, चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों (बंदीकरण की तारीख की स्थिति के अनुसार) और पात्र मौजूदा कर्मचारियों (जिनकी आयु 55 वर्ष या अधिक हो गई हो या जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो) को सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन-साथियों सहित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना सरकार का उत्तरदायित्व है।

(घ) और (ड.) : विभिन्न यूनियनों/संघों जैसे इंडिया पाइलट्स गिल्ड, इंडियन कॉमर्शियल पाइलट्स एसोसिएशन, एअर कॉर्पोरेशन्स इम्प्लॉइज यूनियन, एअर इंडिया कैबिन क्रू एसोसिएशन, ज्वाइंट फोरम्स आदि ने स्वामित्व के हस्तांतरण के बाद भी मौजूदा लाभों को बनाए रखने/जारी रखने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं।

*****